GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *142

TO BE ANSWERED ON THE 04TH MARCH, 2020/PHALGUNA 14, 1941 (SAKA)

IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

†*142. SHRI HARNATH SINGH YADAV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the fact that the provisions of the Official Languages Act, 1963 are not being followed by the Ministries and Departments of Central Government and on account of that the domination of English Language is increasing in all fields whereas the importance and scope of Hindi and other regional languages is continuously declining, if so, the details thereof; and

(b) whether Government has any action plan for an effective implementation of the provisions incorporated in the Official Languages Act, 1963, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (b): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *142 FOR ANSWER ON 04.03.2020 RAISED BY SHRI HARNATH SINGH YADAV REGARDING "IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963"

(a) No, Sir. As per the provisions of the Official Languages Act, 1963, usage of the Official Language Hindi in the Central Government Offices etc. is on the rise. However, more efforts are required by government offices to achieve the targets of use of Hindi in official work / correspondence.

(b) Yes, Sir. The details of the action plan / steps taken by the Department of Official Language towards increasing the progressive use of Hindi in the working of the Central Government and effective implementation of the provisions of the Official Languages Act, 1963 are as under : -

i. **An Annual Programme for implementation of Official Language in official works of the Union is issued every year by the Department of Official Language. An assessment regarding compliance of Annual Programme are laid on the Table of both the Houses of Parliament in the form of Annual Assessment Report every year.**

ii. **Training for Hindi Language/Translation and usage of Computer is given to personnel of various Ministries/Departments and government institutions.**

iii. **Technical tools are developed and implemented.**

iv. **Promotion/monitoring of the Official Language Hindi is being done through Kendriya Hindi Samiti, Hindi Salahkar Samitis, Committee of Parliament on Official Language, Town Official Language Implementation Committees and eight Regional Implementation Offices of Department of Official Language.**

v. **Various incentives/award schemes have been implemented for the offices/ employees of the Government of India.**

*****

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 142

दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू किया जाना

†*142. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसके कारण सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है जब कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का महत्व और दायरा निरंतर घट रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास राजभाषा अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई कार्य योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

रा.स. ता. प्र.सं. 142 दिनांक 04.03.2020

श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा "राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को लागू किया जाना" के संबंध में दिनांक 04.03.2020 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *142 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, नहीं । केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ोतरी पर है। तथापि, सरकारी कामकाज/पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करने से संबंधित पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं ।

(ख) जी, हां । केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में राजभाषा विभाग की कार्य योजना/ उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(i) संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रति वर्ष रखी जाती है ।

(ii) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सरकारी संस्थानों के कार्मिकों को हिंदी भाषा/ अनुवाद और कंप्यूटर के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(iii) तकनीकी टूल्स विकसित एवं क्रियान्वित किए गए हैं ।

(iv) केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से राजभाषा हिंदी का संवर्धन/निगरानी की जा रही है ।

(v) भारत सरकार के कार्यालयों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं लागू की गई हैं ।

*****